यूनाइटेड प्राविन्सेज कोर्ट ऑफ वार्ड्स (निरसन) अधिनियम, 1969

(उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 8, 1969)

यूनाइटेड प्राविन्सेज कोर्ट ऑफ वार्ड्स (निरसन) अधिनियम, 1969

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, सन् 1969]

[उत्तर प्रदेश विधान परिषद ने दिनांक 25 मार्च, 1969 ई0 तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 30 अगस्त, 1969 ई0 की बैठक में स्वीकृत किया।]

['भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्यपाल ने दिनांक 11 सितम्बर, 1969 ई0 को अनुमति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 15 सितम्बर, 1969 ई0 को प्रकशित हुआ।]

यूनाइटेड प्राविंसेज कोर्ट ऑफ वार्ड्स ऐक्ट, 1912 का निरसन करने और आनुषंगिक उपबन्ध बनाने के लिए

यू0पी0 ऐक्ट सं0 4 1912

अधिनियम

भारतीय गणराज्य के बीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त नाम

1–यह अधिनियम यूनाइटेड प्राविंसेज कोर्ट ऑफ वार्ड्स (निरसन) अधिनियम, 1969 कहलायेगा।

यू0पी0 ऐक्ट सं0 4, 1912 का निरसन और आनुषंगिक उपबन्ध

2–(1) यूनाइटेड प्राविसेंज कोर्ट ऑफ वार्ड्स ऐक्ट, 1912 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी ––

(1) उक्त ऐक्ट के अधीन अर्जित, प्रोदॅभूत या उपागत किसी अधिकार, विशेषाधिकार, आभार या दायित्व के संबंध में या उसके निमित्त किसी उपचार या विधिक कार्यवाही के संबंध में जो यूनाइटेड प्राविसेंज जनरल क्लाजेज ऐक्ट, 1904 की धारा 6 के उपबन्धों के कारण प्रवृत्त की जाय, जारी रक्खी जाय या समाप्त की जाय, सभी कार्यवाहियों में कोर्ट ऑफ वार्ड्स के स्थान पर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू (जिसे आगे बोर्ड कहा गया है) रख दिया जाय, या इस प्रकार रख दिया गया समझा जाय;

(2) कोर्ट ऑफ वार्ड्स के कार्यों से सम्बद्ध सभी विचाराधीन मामलों का निस्तारण बोर्ड द्वारा किया जायगा।

बोर्ड द्वारा अधिकारों का प्रतिनिधान

3–बोर्ड धारा 2 की उपधारा (2) द्वारा अपने में निहित अधिकारों अथवा उनमें से ऐसे अधिकारों को, जिन्हें वह इष्टकर समझे, प्रयोग करने के लिए अपने किन्हीं सदस्यों या अधिकारियों अथवा राज्य सरकार के अनुमोदन से उक्त सरकार के किसी अधिकारी को प्रतिनिहित कर सकता है।

———